362

Adm.

कोर्ट फी FEE Rs.10

10रु. कोर्ट फी Rs.10 COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

10रु. कोर्ट फी Rs.10 COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

10रु. कोर्ट फी Rs.10 COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

न्यायालय श्रीमान, राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर केम्प, भोपाल (म.प्र.)

पुनरीक्षण क्र. R 494-II-17

1. रामौतार आत्मज स्व. श्री हीरालाल
2. शांताबाई पत्नी स्व. श्री हीरालाल
   निवासीगण– ग्राम बड़ुआ,
   तहसील व जिला होशंगाबाद (म.प्र.) .... आवेदकगण

विरुद्ध

चम्पालाल एवं अन्य,
निवासीगण – ग्राम धनकोट,
तहसील रेहटी, जिला सीहोर (म.प्र.) .... अनावेदकगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959

आवेदकगण न्यायालय श्रीमान अपर कलेक्टर महोदय, सीहोर, जिला सीहोर द्वारा प्रकरण क्र. 03/स्व. निगरानी/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 16.01.2017 से असंतुष्ट होकर यह निगरानी माननीय न्यायालय के समक्ष निम्न तथ्यों एवं आधारों पर प्रस्तुत कर रहा है :–

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश प्रष्ठ

प्रकरण क्रमांक R/494/II/17, सीहोर   रामेश्वर / पवन 19 12

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषको के हस्ताक्षर
20/12/18	आवेदक की ओर से श्री राजेश गिरी अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी कलेक्टर जिला सीहोर के प्रकरण क्रमांक 03/स्व.नि./16-17 में पारित आदेश दिनांक 16/01/17 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू.राजस्व संहिता में दिनांक 25-09-2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त संभाग भोपाल के न्यायालय को अंतरित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 03/04/19 को संभागीय आयुक्त भोपाल के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों । सदस्य	